न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

R 3860 I 16

मोहन पटेल पिता मग्गू पटेल
निवासी ग्राम मकरोनिया बुजुर्ग
तहसील व जिला सागर म०प्र० --- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 43अ16 (अ) वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21-7-2016 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि निगरानीकर्ता मौजा मकरोनिया बुजुर्ग तहसील व जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 392 में से रकबा 0-47 डिसमिल का रिकार्डेड भूस्वामी है । उक्त भूमि निगरानीकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय कर मालकाना वा खास कब्जा प्राप्त किया था । इसी भूमि के बटांक नक्शे में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र श्रीमान नायब तहसीलदार सागर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, और हल्का पटवारी से रिपोर्ट चाही गयी थी । हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23-7-2015 को अपनी रिपोर्ट माननीय विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसमे आपत्तिकर्ता मोतीलाल पटेल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । उक्त आपत्ति को दिनांक 17-5-2016 को माननीय विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था । तदोपरान्त प्रकरण अवलोकन हेतु नियत किया गया था, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने हल्का पटवारी द्वारा

-2

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3860–एक/16 जिला –सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.11.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री डी0 के0 शुक्ला उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण को प्रकरण की ग्राह्यता एवं धारा–5 के बिन्दु पर सुना गया। 2– आवेदक अधिवक्ता का धारा–5 के आवेदन पर तर्क है कि आवेदक ने अपने अधिवक्ता से संपर्क करने पर आलोच्य आदेश का दिनांक 23.9.15 की जानकारी दिनांक 16.10.16 को प्राप्त किये जाने पर दिनांक 18.10.16 को नकल प्राप्त कर श्रीमान के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । अधिवक्ता की गलती के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता । अतः धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जावे। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा धारा–5 के आवेदन में समाधानकारक बिन्दु होने के कारण धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है । 4– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील व जिला सागर के प्रकरण क0 43/अ–6(अ) 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 21.7.16 से परिवेदित होकर यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।	

5– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक ने मौजा मकरोनिया बुजुर्ग तहसील व जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 392 में से रकवा 0.47 डिसमिल का रिकार्डड भूमिस्वामी है, उक्त भूमि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र से कय कर मालकाना वा खास कब्जा प्राप्त किया था। इसी भूमि के बटांक नक्शे में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार सागर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था और हल्का पटवारी से रिपोर्ट चाही गयी थी। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23.7.15 को अपनी रिपोर्ट विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसमें आपत्तिकर्ता मोतीलाल पटेल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। उक्त आपत्ति को दिनांक 17.5.16 को विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार आदेश पारित ना करते हुये दिनांक 21.7.16 को पुनः स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु आदेशित किया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

6– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि नायब तहसीलदार सागर द्वारा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 16.2.15 को विधिवत स्थल पर जाकर प्रतिवेदन तैयार कर नक्शे में खसरा नंबर 392 के बटांक किये जाने हेतु प्रस्तावित नक्शा एवं पंचनामा तैयार किया गया था उक्त प्रस्तावति नक्शे में आवेदक के खसरा नंबर 392/3, 5 से 16, 18 से 19 तक अंकित किये जाने का उल्लेख किया है जिसमे अन्य कोई व्यक्ति की कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उक्त

प्रतिवेदन को ना मानते हुये पुनः प्रतिवेदन बुलाये जाने का अवैधानिक आदेश पारित किया है जो निरस्त कर दिनांक 16.2.15 को हल्का पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर एवं प्रस्तावित नक्शे में दर्शाये बटांक किये जाने का आदेश पारित करना था ऐसा ना कर विचारण न्यायालय ने गंभीर विधिक भूल की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर दिनांक 16.2.15 का प्रतिवेदन के अनुसार नक्शे में दर्शाये बटांक किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में बिन्दु उल्लेख किया है। शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह विधि प्रावधानों से सही है उसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुजांइश नहीं है, अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

8–उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि दिनांक 15.12.14 को विचारण न्यायालय ने आदेश दिया कि इश्तहार जारी किया जावे एवं हल्का पटवारी से रिपोर्ट बुलाई जावे, दिनांक 23.7.15 को हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं दिनांक 30.12.15 को समाचार पत्र राज ऐक्सप्रेस में प्रकाशित इश्तहार सहित समाचार की प्रति

प्रस्तुत की गई, अनावेदक अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। पुनश्चः कर हल्का पटवारी से पुनः रिपोर्ट लिये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

9–उपरोक्त विवेचना के आधार पर दिनांक 21.7.2016 का दिया गया आदेश निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप दिनांक 16.2.15 को हल्का पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर एवं प्रस्तावित नक्शे में दर्शाये वटांक किये जाने का आदेश दिया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य